न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2017/2668 विरूद्ध आदेश दिनांक 05-08-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 24/अपील/14-15 जदीद नम्बर 60/16-17/अपील ।

ओमप्रकाश शिक्षा प्रसार समिति
द्वारा अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय पुत्र श्री परशुराम पाण्डेय,
निवासी बिरला नगर, ग्वालियर.

.....आवेदक

विरूद्ध

मै.एसोटेक सी.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0
द्वारा प्रबंधक पंकज
निवासी बिन्डसर हिल, सिरोल रोड,
ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/7/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा ग्राम डोंगरपुर पुतलीघर के सर्वे नम्बर 46 रकबा 0.188 हैक्टेयर भूमि वहैसियत रिकार्ड में भूमिस्वामी दर्ज है । आवेदक की इस भूमि के भाग 4900 वर्गफुट भूमि पर अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है । आवेदक द्वारा अनावेदक से उक्त अवैध कब्जे को वापिस दिलाये जाने निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2014-15/अ-70 दर्ज कर दिनांक 26-2-2015 को आदेश पारित कर अनावेदक को आदेश दिया कि अतिक्रामक अनावेदक रकबा 4900 वर्गफुट भूमि का कब्जा भूमिस्वामी आवेदक को सौंपे तथा आवेदक भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा करने के कारण कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य 72,85,320/- का 20 प्रतिशत राशि रूपये 14,97,064/- जुर्माना अधिरोपित कर जमा कराने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर सिविल जेल की कार्यवाही के लिये अनुविभागीय अधिकारी को लिखा गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05-08-2017 को अंतरिम आदेश पारित कर पूर्व में अदम पैरवी में खारिज हुये प्रकरण को विलम्ब से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र को स्वीकार प्रकरण पुन:नम्बर पर लिया जाकर अभिलेख की प्रतीक्षा में प्रकरण नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 26-2-2015 का पालन आज दिनांक तक ना ही किया गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालन कराया गया ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील दिनांक 29-3-16 को अदम पैरवी में खारिज होने के बाद भी उसे बिना किसी आधार के विलम्ब से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर पुन: नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अवधि बाह्य प्रस्तुत किया गया था, जिसे बिना किसी आधार के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण पुर्नस्थापित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(4) अनावेदक न्याय का अवसर प्राप्त करने के उपरांत न्यायदान प्राप्त करने हेतु चतुर व चालाकी का उपयोग कर स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा हो, तब ऐसे व्यक्ति अथवा पक्ष को न्यायालय से किसी भी प्रकार का न्याय प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

(5) अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यथित आदेश दिनांक 5-8-2017 को पारित किये जाने से पूर्व प्रस्तुत आवेदन के अभिवचनों के तथ्यों के साथ साथ उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अभाव का पूर्णत नजर अंदाज कर एवं न्यायिक सिद्धांत को अनदेखा कर आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है, ऐसी दशा में व्यथित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(6) अनावेदक द्वारा धारा - 5 के आवेदन पत्र में यह अभिवचन का लिखा जाना कि उसके द्वारा दिनांक 6-2-2017 को प्रकरण की जानकारी न्यायालय के रीडर से प्राप्त करने पर हुई कि उक्त प्रकरण दिनांक 29-3-16 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है की जानकारी काफी विलम्ब से रीडर से प्राप्त की गई है अनावेदक को अपने प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं थी उसके द्वारा प्रकरण को विलम्ब रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जा रही है ।

(7) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि अनावेदक को कंपनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है ऐसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर अंदाज कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत: विधि की मंशा के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(8) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में विलम्ब के संबंध में कोई पर्याप्त कारण ना तो उल्लेख किया गया है और ना ही न्यायालय के समक्ष वर्णित किया गया है ऐसी दशा में 11 माह का समय की विलम्बता को बगैर किसी वैधानिक एवं पर्याप्त आधार के उत्तर आवेदन पर सही निष्कर्ष दिये बिना रेस्टोरेशन का आवेदन मंजूर किये जाने में वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(9) अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्ति आदेशदिनांक 5-8-17 को पारित किये जाने में जिन तथ्यों को एवं आधारों का उल्लेख कियागया है वह आधार विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के दि. 29-3-2016 के अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश को रेस्टोर्ड करने का अनावेदक ने आवेदन

दिनांक 28-2-2017 को लगभग 11 माह के विलम्ब से दिया, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक की अपील थी । अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 5 के आवेदन में बताये कारणों के समर्थन में कोई प्रमाण भी पेश नहीं किये गये । पूर्व कर्मचारी ने कब कम्पनी छोड़ी । कम्पनी छोड़ने पर उसका कार्य दूसरे व्यक्ति को दिया गया था तो उसने प्रकरण की जानकारी क्यों नहीं ली ? अत: अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा धारा 5 के आवेदन में बताये गये कारण पर्याप्त नहीं है, जिनके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा की छूट दी गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-08-2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर